संख्या–105 बी / क0नि–6–2017–1(बी) / 2017

शीर्ष प्राथमिकता

प्रेषक,

अनुराग यादव,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊः दिनॉकः 14 अगस्त, 2017

विषय : फसल ऋण मोचन योजना अंतर्गत अर्ह सूची को संस्तुत करने के पूर्व डी0एल0सी0 द्वारा कार्यवाही के चेक बिन्दु।

महोदय,

आप अवगत है कि उपरोक्त योजनान्तर्गत कृषको की अर्हता के विषय में बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना / संस्तुति एवं तहसील स्तर पर कराये गये वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के क्रम में जिला स्तरीय समिति को पात्र कृषको की अर्हता के विषयक निर्णय लेते हुये दिनांक 17 अगस्त, 2017 तक उपरोक्त सूची जनपद स्तर पर डिजिटली लॉक की जानी है।

बैंकों द्वारा ऋण खातों के विषय में की गयी संस्तुतियों के राज्य मुख्यालय पर परीक्षण में यह संज्ञान में आया कि कतिपय शाखा प्रबन्धको द्वारा उन ऋण खातों में भी संस्तुति की गयी है जिनमें ऋणात्मक अवशेष था, (अर्थात 31.03.2016 को खाते में बकाये धनराशि में 01.04.2016 से 31.03.2017 तक जमा धनराशि के समायोजन के उपरांत ऋणात्मक अवशेष था), साथ ही साथ 31.03.2016 की बाद की तिथि की लिमिट व इनवैलिड स्कीम कोड से संबंधित कतिपय खातों के विषय में भी कतिपय शाखा प्रबन्धको द्वारा संस्तुत कर दिया गया है। ऐसे प्रकरणों में संबंधित खातों में किसी भी प्रकार के भुगतान के पूर्व उनका विस्तृत रूप से सत्यापित एवं परीक्षण किया जाना इस आशय से आवश्यक है कि किन परिस्थितियों में संबंधित बैंक / शाखा प्रबन्धक द्वारा उपरोक्त संस्तुतियां की गयी है। इनके अतिरिक्त किसी प्रकार का दोहरा भुगतान न हो इस हेतु यह आवश्यक है कि जनपद स्तर पर अर्ह कृषकों की जो सूची अनुमोदित की जाए उसमें भली–भॉति इसका परीक्षण कर लिया जाये कि आधार संख्या, किसान केडिट कार्ड अथवा कोई अन्य प्रकार का रिकार्ड एक से अधिक बार संस्तुत न हो जिससे कि यथा संभव दोहरा भुगतान योजनान्तर्गत किये जाने से बचा जा सके।

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के दृष्टिगत एन0आई0सी0 द्वारा डी0एल0सी0 की लॉग–इन पर चेक बिन्दु (संलग्नक–I) इस आशय से बना दिये गये है कि बैंकों / तहसीलों द्वारा किये गये संस्तुत सूची को ड्राफ्ट सूची के रूप में मानते हुये उपरोक्त चेक बिन्दुओं / फिल्टर्स पर डी0एल0सी0 उक्त ड्राफ्ट सूची का परीक्षण कर ले और तद्नुसार उपरोक्त फिल्टर्स में आने वाले रिकार्ड को समुचित रूप से सत्यापित करने के विषयगत आगामी चरणों हेतु उक्त प्रकार के रिकार्ड (फिल्टर में आने वाले) की सूची तैयार कर अलग करते हुये ड्राफ्ट सूची के अवशेष रिकार्ड को योजनान्तर्गत मानको के अनुरूप बैंक एवं तहसील वेरिफिकेशन के आधार पर कराये गये सत्यापन के क्रम में अर्ह कृषको की सूची के विषयगत अपनी संस्तुति धन आवंटन हेतु अंतिम रूप से तैयार कर प्रथम चरण के लिये राज्य मुख्यालय पर प्रेषित करने हेतु पोर्टल पर डिजीटली लॉक करने विषयक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अनुराग यादव)
सचिव।

TD (APS)

प0पृ0सं0– 1015 1/1 बी / क0नि0–6–2017,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
4. महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।

(संलग्नक-i)

अंतिम रूप से जनपद स्तर पर प्रथम चरण की सूची डिजिटली लाक करने के पूर्व डी.एल.सी. लागिन में निम्न आप्सन दिये जायेगें:

बैंकों व तहसील स्तर पर संस्तुत हुए डाटा की रिपोर्ट तीन प्रकार की होगी (एक्सल डाउनलोडेबल)

- 1-ब्रान्च एवं तहसील दोनों के द्वारा रिकमन्ड रिकार्ड
- 2-ब्रान्च द्वारा रिकमन्ड नही लेकिन तहसील द्वारा रिकमन्ड रिकार्ड
- 3-ब्रान्च द्वारा रिकमन्ड लेकिन तहसील द्वारा रिकमन्ड नहीं रिकार्ड

- उपरोक्त तीनो की एक्सल डाउनलोड करनी होगी।
- रिपोर्ट 2 एवं 3 में यदि डी.एल.सी को लगता है किं इसमें से कोई अर्ह, अनर्ह या पेन्डिग फार डी.एल.सी डिसीजन हो सकता है उसे कर सकती है।
- रिपोर्ट-1 से भी डी.एल.सी अर्ह, अनर्ह या पेन्डिग फार डी.एल.सी डिसीजन हो सकता है उसे कर सकती है।
- उपरोक्त प्रकिया पूर्ण होने के बाद ही रिपोर्ट 1 पर वेलीडेशन प्रकिया प्रारम्भ हो सकेगी।

रिपोर्ट 1 पर DLC द्वारा वेलीडेशन चलाने होगें F8 TO F15.1 जोकि आपके लागिन में दिये जा रहे हैं।

- इसमें जो रिकार्ड फिल्टर होगें उनको सिंगल क्लिक पर Pending for Verification at DLC के लिए सेन्ड करना होगा ।
- प्रत्येक फिल्टर की रिपोर्ट एवं एक्सल भी डाउनलोड करने का आप्सन है।एक्सल डाउनलोड करके रख लें तथा रिपोर्ट की PDF बना लें।
- फिल्टर होने के बाद जो डाटा शेष रहेगा वो डिमान्ड जेनरेट एवं डिजीटली लाँक के लिए अन्तिम होगा। डिमान्ड अग्रसारित करने के साथ इसकी एक्सल एवं रिपोर्ट बनाकर सुरिक्षित कर लें।
- उपरोक्त सभी प्रकिया के पश्चात ही डाटा डिजीटली साइन होगा तथा जनपद की बैंक ,ब्रान्च एवं एकाउन्ट होल्डर वार डिमान्ड जेनरेट होगी।

sno	Filter No	Filter
1	F8	Invalid Scheme Code/Activity Code
2	F9	Outstanding Loan Amount-Repayment Amount <=0
3	F11	Limit /Disbursement Date >31-03-2016
4	F12	Duplicate Record on Valid 12 Diigit Aadhar Number
5	F13	Duplicate Record on Bank,Branch,IFSC,Farmer Name,KCC NO, Outstanding amt, Repayment Amount
6	F14	Duplicate Record on Bank,Branch,IFSC,KCC NO, Outstanding amt, Repayment Amo
7	F15	NPA KCC NO in NON NPA Data
8	15.1	Negative Repayment Amount